



न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल म०प्र० ज्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
जिला रीवा म०प्र०

प्रकरण क्र० 05162/II/2016



रामलाल तनय राधिका रजक तका 2 अन्य , सभी निवासी ग्राम बहेरा
तहो सिरमौर रा० नि० वृत्त बैकुण्ठपुर जिला रीवा , मध्य प्रदेश
===== आवेदकगण

आवेदक आशुभासक
श्री मोहन चरण सिंह
-सहाय्य/ 16.10.18
16.10.18
AS

बनाम

- 1- जानकीदेवी पटेल पत्नी महादेव पटेल निवासी ग्राम बहेरा, तहसील
 - 2- भूमिपति तनय जमुना रजक निवासी ग्राम बहेरा, तहो सिरमौर
- जिला रीवा म०प्र०
===== अनावेदक गण

निराणी बिल्ड आदेश रा० नि० मण्डल बैकुण्ठपुर
तहसील सिरमौर जिला रीवा सीमांकन प्रकरण
क्र० 132/अ-12/2014-15 मे पारित आदेश
दि० 10-07-2015. निराणी अन्तर्गत धारा
50 म०प्र० नू० रा० सं० 1959 ई०.

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म०प्र० नू० रा०
संहिता 1959 ई०.

[Handwritten signature]

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार:-

- 1- यहकि, मान्नीय न्यायालय मे रा० नि० मण्डल बैकुण्ठपुर तहसील
सिरमौर जिला रीवा रा० नि० के सीमांकन प्रकरण क्र० 132/अ-12/14-15
मे पारित आदेश दि० 10-7-2015 के बिल्ड निराणी दि० 30-3-2016
को प्रस्तुत की गई है जिसमे दि० 21-6-2016 को प्रकरण मे प्रकरण क्र०

रामलाल

[Handwritten signature]

50

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

करण क्रमांक R. 5162 - टो 116 जिला- सीवा

रामलाल रत्नक विरुद्ध जानकी देवी पटेल

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री मोरखल सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नाथन तहसीलदार/ राजस्व निरीक्षक, तहसील सिमोटा के प्रकरण क्रमांक 132/112/14 में पारित आदेश दिनांक 10-7-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर सीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

रामलाल